

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

-आदेश:-

संख्या-13/स्था०-01-04/2025(अंश-I)-

५५३०

पटना, दिनांक- 12.9.25

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-12/स्था०-01-01/2025-3825 दिनांक-13.08.2025 द्वारा नवनियुक्त कुल 07 कनीय अभियंता (असैनिक) को निम्न तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-7 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कनीय अभियंता का नाम/गृह जिला	पिता/पति का नाम स्थायी पता	पंजीयन संख्या	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर	जन्म तिथि	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	तारा देवी / दिल्ली (करोलबाग)	श्री राम प्रताप, 2099/E-3A/1, गली नं०-15, प्रेम नगर, पटेल नगर, दिल्ली-110008	BR00150010070258	2510	08.03.1999	सिंचाई प्रमंडल, भुआ
2	साक्षी ठाकुर / दिल्ली	श्री प्रताप चंद ठाकुर, ए-336, पॉकेट-00, सेक्टर-2, रोहिणी, दिल्ली-110085	BR00150010032015	2569	24.08.1996	सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, सासाराम
3	कोमल रामेश्वरराव गोरडे / महाराष्ट्र (यवतमाल)	श्री रामेश्वरराव गोरडे, मु. पो. मांगलादेवी, तालुका नेर, जिला-यवतमाल	BR00150010085594	2918	29.08.1992	बाढ़ नियंत्रण रुपांकण प्रमंडल-2, पटना
4	आफताब आलम / कैमूर(भुआ)	मो० इजहार अली अंसारी, गाँव-सबार, डाकघर-सबार, थाना-करमचट, जिला-कैमूर(भुआ), पिन-821104	BR00150010024743	4435	10.03.1991	सोन नहर प्रमंडल, आरा
5	अविनाश कुमार / मुजफ्फरपुर	श्री शम्भू पासवान, नया टोला, नजदीक देवी लाज, पोस्ट-प्रधान डाकघर, थाना-काजी मोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार	BR00150010055756	6525	22.04.1996	जल निस्सरण प्रमंडल, मोतिहारी

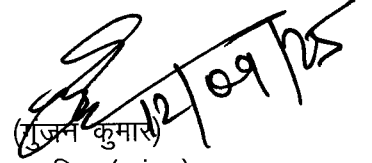


6	पल्लवी राज/ भागलपुर	श्री उमेश गुप्ता, वार्ड नं०-7, गाँव-औलियाबाद, पोस्ट-झंडापुर, जिला-भागलपुर, भाया-बिहपुर, बिहार-853201	BR00150010044873	8610	28.10.1999	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, मुंगेर
7	राजेश कुमार/ समस्तीपुर	श्री उमेश चौधरी, ग्रा०+पो०-शिउरा, वार्ड न०-05, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर, पिन कोड-848504 (बिहार)	BR00150010056991	9597	02.01.1994	पूर्वी तटबंध प्रमंडल, चन्द्रायण

- यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय/विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।
- यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।
- सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय/विभाग में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य वांछित कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय/विभाग में योगदान की तिथि से भुगतान होगा।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय/विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित कार्यालय/विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।
- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक जल संसाधन विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।



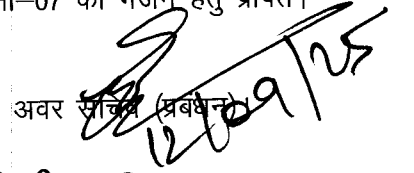
9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नव नियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।
10. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
11. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।
12. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(गुलज़र कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

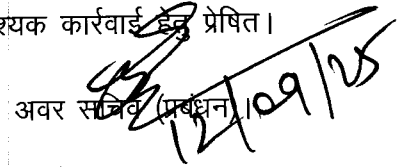
ज्ञापांक-13/स्था०-01-04/2025(अंश-1)-4430 पटना, दिनांक-12.9.25

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना-07 को भेजने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

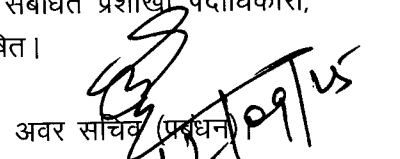
ज्ञापांक-13/स्था०-01-04/2025(अंश-1)-4430 पटना, दिनांक-12.9.25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

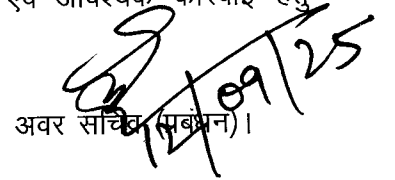
ज्ञापांक-13/स्था०-01-04/2025(अंश-1)-4430 पटना, दिनांक-12.9.25

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-13/स्था०-01-04/2025(अंश-1)-4430 पटना, दिनांक-12.9.25

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-13/स्था०-01-04/2025(अंश-I)-

५५३०

पटना, दिनांक- 12.9.25

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र,
पटना/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय/Common integrated
website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)

12/09/25